

[2023] 6 एस. सी. आर 590

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

ए.

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम.

मध्यमिता दास और ओआरएस। (2023 की सिविल अपील संख्या 3320) 02 मई, 2023

बी.

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई और जे बी पारदीवाला, जे।]

सेवा कानून-सेवा से बर्खास्तगी-जाति प्रमाण पत्र रद्द करना-प्रत्यर्थी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के खिलाफ रोजगार प्राप्त किया-उसका जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा इस आधार पर अमान्य कर दिया गया था कि वह जन्म से अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं थी और अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति के साथ उसकी शादी से वह अपने जीवनसाथी की जाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगी-अपीलकर्ता ने सेवा से पहले प्रत्यर्थी को खारिज करने का आदेश पारित किया-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को बहाली के लिए पहले प्रत्यर्थी के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया-खंड पीठ ने पांच सौ चौंसठ दिनों की देरी के आधार पर अपील को खारिज कर दिया-अपील पर कहा गया:तत्काल मामले में देरी को माफ करने से इनकार करने से एक धोखेबाज़ को आरक्षित सीट का लाभ जारी रखने की अनुमति देने के गंभीर परिणाम होंगे-यह केवल राज्य के लिए नुकसान का विषय नहीं है, बल्कि आरक्षित सीट के वास्तविक उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें बाहर कर दिया जाएगा-खंड पीठ को देरी को माफ कर देना चाहिए था-अनुशासनात्मक जांच बुलाने में अपीलार्थी के आचरण में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है-जांच के निष्कर्ष असाधारण थे-लगाए गए दंड को असमान नहीं माना जा सकता था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम बनाम जगदीश बलराम बहिरा **(2017) 8 एस. सी. सी. 670:[2017] 11 एस. सी. आर. 271;** वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन

विश्वविद्यालय (1996) 3 एस. सी. सी. 545:[1996] 1 एस. सी. आर. 128-पर निर्भर।

जी.

अंजन कुमार बनाम भारत संघ **(2006) 3 एससीसी 257:[2006] 2 एस. सी. आर. 208;** सोलुंके बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2012) 8 एससीसी 430:[2012] 7 एससीआर 251; शालिनी बनाम न्यू ए एच.

590

591

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास ए

इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन **(2013) 16 एससीसी 526:**

[2013] 12 एस. सी. आर. 807-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[1996] 1 एससीआर 128

उस पर भरोसा करें

पैरा **6 [2006] 2 एस. सी. आर. 208** पैरा **6 [2012] 7 एस. सी. आर. 251**
पैरा **11 [2013] 12 एस. सी. आर. 807** पैरा **11 [2017] 11 एस. सी. आर. 271**

बी.

पैरा **19**

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील No.3320।

सी.

2019 के आई. ए. No.625 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.10.2019 के निर्णय और आदेश से।

अशोक पाणिग्रही, नवाब सिंह, सुश्री गीतांजलि दास कृष्णन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डी.

अनिमेष कुमार, नीरज शेखर, निशांत कुमार, सुश्री अपराजित, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश दिए गए:

न्याय

ई.

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के 30 अक्टूबर 2019 के एक फैसले से उत्पन्न होती है।

एफ.

3. 17 अक्टूबर 1998 को, पहला प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित पद के खिलाफ कनिष्ठ सहायक के रूप में अपीलार्थी की सेवा में शामिल हुआ। अनुसूचित जाति से संबंधित होने की उसकी याचिका के समर्थन में, पहले प्रत्यर्थी ने एक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो तहसीलदार, भुवनेश्वर द्वारा जारी किया गया था। जाति प्रमाण पत्र 5 जनवरी 1996 को विविध मामला संख्या 7/1996 में जारी किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि पहला प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति, "देवर" से संबंधित था।

जी.

4. 2 अगस्त 2011 को, अपीलार्थी ने उप-कलेक्टर, खुर्दा (चौथे प्रतिवादी) से इस आधार पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच करने का अनुरोध किया कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अनंतिम

एच.

592

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

12 वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम प्रत्यर्थी के अंक पत्र से पता चला कि वह एक ब्राह्मण थी।¹³ अगस्त 2011 को, उप-कलेक्टर ने पहले प्रत्यर्थी को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक जांच का निर्देश दिया।

5. 5 अगस्त 2011 को, तहसीलदार (दूसरे प्रत्यर्थी) ने रेव. मिस्क को पंजीकृत करने के बाद पहले प्रत्यर्थी को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया। 2011 का मामला सं. 47/16 अगस्त 2011 के अपने जवाब में, पहले प्रत्यर्थी ने कहा कि वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। हालाँकि, उन्होंने 21 जुलाई 1993 को अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति से अपनी शादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा किया। 6. 16 अगस्त 2011 को, तहसीलदार ने उड़ीसा जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए) नियम, 1980 के नियम 8 (2) के तहत पहले प्रत्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश पारित किया। वालसम्मा पॉल में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करना

बी.

सी.

बनाम कोचीन विश्वविद्यालय **1** और अंजन कुमार बनाम भारत संघ **2**,

तहसीलदार ने पहले प्रत्यर्थी की इस दलील को खारिज कर दिया कि शादी के परिणामस्वरूप वह अनुसूचित जाति की सदस्य बन गई थी। तहसीलदार ने 2 मई 1975 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर भी भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे आरक्षित समुदाय से संबंधित नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, तहसीलदार ने नोट किया कि पहले प्रत्यर्थी का पति "कैबर्ता" जाति से था, लेकिन पहले प्रत्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र ने उसे "देवर" जाति से संबंधित दिखाया। इसलिए, तहसीलदार ने पाया कि पहले प्रत्यर्थी ने जाति प्रमाण पत्र देने के समय प्राधिकरण को गुमराह किया था। 7. जाति प्रमाणपत्र के रद्द होने के बाद, अपीलार्थी ने 26 अगस्त 2011 को उड़ीसा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1962 के तहत आरोप पत्र जारी करके पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। प्रथम प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी को जाँच में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. 13 जनवरी 2012 को, जांच अधिकारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति पहली प्रत्यर्थी को दी गई थी ताकि निष्कर्षों पर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके। इसके बाद,

1 (1996) 3 एससीसी 545 2 (2006) 3 एससीसी 257 ए

एच.

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रथम प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने और जांच में निष्कर्षों पर उसे दिए गए वेतन की वसूली करने का प्रस्ताव रखा। प्रथम प्रत्यर्थी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था।⁹ प्रथम प्रत्यर्थी ने कलेक्टर, खुर्दा के समक्ष अपने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी।²³ मार्च 2012 के एक आदेश द्वारा, कलेक्टर ने प्रथम प्रत्यर्थी की अपील को खारिज कर दिया और 16 अगस्त 2011 के तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था।

बी.

10. 13 मार्च 2012 को, अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। अपीलार्थी ने सेवा के दौरान अपने वेतन और अन्य अनुलाभों के लिए प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त सभी धन की वसूली का भी आदेश दिया। प्रथम प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी बर्खास्तगी को चुनौती दी।

सी.

11. 25 जनवरी 2018 के एक फैसले द्वारा, एक एकल न्यायाधीश ने पहले प्रत्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को बरकरार रखा, लेकिन अपीलार्थी को कविता सोलुंके बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, पद पर बने रहने पर विचार करने का निर्देश दिया।

डी.

महाराष्ट्र **3** और शालिनी बनाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन **4**.

एकल न्यायाधीश ने कहा कि पहले प्रत्यर्थी ने धोखाधड़ी से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया। इसलिए, अदालत ने अपीलार्थी को पद खाली होने की स्थिति में पद पर बने रहने पर विचार करने का निर्देश दिया। इस स्थिति में कि पद खाली नहीं था, एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को एक समानांतर पद में उसके तत्काल समावेशन पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि, एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि यदि पहली प्रत्यर्थी को बहाल किया जाता है, तो वह भविष्य में किसी भी पदोन्नति और लाभ से वंचित हो जाएगी।¹² एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ पाँच सौ चौंसठ दिनों की देरी के साथ एक रिट अपील दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने 30 अक्टूबर 2019 के अपने विवादित फैसले में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रदान किए गए विलंब के कारण पर्याप्त कारण नहीं हैं। नतीजतन, रिट अपील को खारिज कर दिया गया।

ई.

एफ.

जी.

13. प्रथम प्रत्यर्थी ने एक जवाबी-हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी पाँच सौ चौसठ दिनों की अत्यधिक देरी के लिए पर्याप्त कारण बताने में विफल रहा है। इसके अलावा, पहला प्रत्यर्थी

3 (2012) 8 एससीसी 430 4 (2013) 16 एससीसी 526

एच.

594

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

आग्रह किया कि एकल न्यायाधीश के 25 जनवरी 2018 के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। यह आग्रह किया गया है कि एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को पहले प्रत्यर्थी को अनिवार्य रूप से बहाल करने का निर्देश नहीं दिया, जैसा कि कविता सोलुंके (ऊपर) और शालिनी (ऊपर) में किया गया था। इसलिए, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्देश (प्रस्तुतिकरण के अनुसार) कविता सोलुंके (ऊपर) और शालिनी (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णयों पर आधारित नहीं हैं।

बी.

14. हमने देरी को माफ करने के लिए डिवीजन बेंच के रिकॉर्ड में रखे गए कारणों पर विचार किया है। राज्य ने रिट अपील को संसाधित करने के उद्देश्य से आवश्यक अनुमोदन लेने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया था। इस मामले में देरी को माफ करने से इनकार करने के अलावा एक धोखेबाज़ को आरक्षित सीट का लाभ जारी रखने की अनुमति देने के गंभीर परिणाम होंगे। यह केवल राज्य के लिए नुकसान की बात नहीं है, बल्कि आरक्षित सीट के वास्तविक उम्मीदवारों के लिए नुकसान की बात है, जिन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हमारा विचार है कि खंड पीठ को इस मामले के तथ्यों में देरी को माफ कर देना चाहिए था।

सी.

डी.

15. प्रथम प्रत्यर्थी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध अपीलार्थी के साथ रोजगार प्राप्त किया। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा किया। इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करके तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया गया है।

वलसम्मा पॉल (ऊपर) और अंजन कुमार (ऊपर)।

ई.

16. वलसम्मा पॉल (ऊपर) में, अपीलार्थी एक अगड़ी जाति से थी, लेकिन उसने दावा किया कि वह विवाह द्वारा आरक्षित समुदाय की सदस्य बन गई थी। एक आरक्षित उम्मीदवार के रूप में व्याख्याता के पद के लिए अपीलार्थी के चयन को दूसरे उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई थी। दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सवाल यह था कि क्या एक अगड़ी जाति का व्यक्ति आरक्षित समुदाय के व्यक्ति से शादी करके संविधान के अनुच्छेद 15 (4) या 16 (4) के तहत आरक्षण का दावा करने का हकदार बन जाता है। इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक अगड़ी जाति का व्यक्ति जिसे गोद लेने, विवाह या धर्मांतरण द्वारा पिछड़ी जाति में प्रत्यारोपित किया जाता है, वह आरक्षण का हकदार नहीं होगा:

एफ.

जी.

34. [...] एक उम्मीदवार जिसकी जीवन में लाभप्रद शुरुआत अगड़ी जाति में हुई थी और जिसने लाभप्रद जीवन की यात्रा की थी, लेकिन गोद लेने या विवाह या धर्मांतरण द्वारा पिछड़ी जाति में प्रत्यारोपित किया गया है, वह अनुच्छेद 15 (4) या 16 (4) के तहत आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं है। अधिग्रहण ए

एच.

595

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

इन श्रेणियों में स्वैच्छिक गतिशीलता द्वारा अनुसूचित जाति आदि की स्थिति संविधान के साथ धोखाधड़ी करेगी और संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत सौम्य संवैधानिक नीति को विफल कर देगी।

17. अंजन कुमार (ऊपर) में, इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या आदिवासी पत्नी और गैर-आदिवासी पति के बीच विवाह से पैदा हुआ व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के दर्जे का दावा कर सकता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा व्यक्ति तब तक जनजातीय स्थिति का दावा नहीं कर सकता, जब तक कि वे यह न दिखाएँ कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अक्षमताओं का सामना किया है। इस न्यायालय ने वाल्सम्मा पॉल (उपरोक्त) सहित कई निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक जनजाति प्रमाण पत्र

देने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त यह है कि किसी को उस स्थान से विकलांग होना चाहिए जहां से वह संबंधित है।

बी.

सी.

18. 16 अगस्त 2011 के आदेश में, तहसीलदार ने कहा कि प्रथम प्रत्यर्थी ने यह दावा नहीं किया कि उसे अपनी शादी के परिणामस्वरूप अक्षमता या नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए, तहसीलदार ने पहली प्रत्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को इस आधार पर अमान्य कर दिया कि वह जन्म से अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं थी और अनुसूचित जाति के व्यक्ति से उसकी शादी से उसे अपने जीवनसाथी की जाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

डी.

19. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कविता सोलुंके (ऊपर) और शालिनी (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसलों के आधार पर बहाली के लिए पहले प्रत्यर्थी के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। हालाँकि, इन दोनों फैसलों को अध्यक्ष और प्रबंध में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया है।

ई.

निदेशक, भारतीय खाद्य निगम बनाम जगदीश बलराम बहिरा।⁵

एफ.

20. शालिनी (ऊपर) में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कविता सोलुंके (ऊपर) पर भरोसा किया कि जिन व्यक्तियों के जाति के दावों को अमान्य कर दिया गया है, उन्हें संरक्षण देने या अस्वीकार करने के लिए बेईमान इरादे का परीक्षण किया जाए। शालिनी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने उस व्यक्ति की बहाली का निर्देश दिया जिसका जाति प्रमाण पत्र अमान्य पाया गया था क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने जाति प्रमाण पत्र को गलत नहीं बनाया था।

जी.

21. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, खाद्य निगम

भारत सरकार (ऊपर), इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो इस तथ्य के बावजूद आरक्षण तक पहुंच प्राप्त करते हैं कि वे आरक्षित समुदाय से संबंधित नहीं हैं। यह

5 (2017) 8 एस. सी. सी. 670

एच.

अदालत ने कविता सोलुंके (ऊपर) और शालिनी (ऊपर) को खारिज कर दिया

यह आधार कि यह बेईमान इरादे की आवश्यकता को आयात करने के लिए कानून के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत होगा। इस अदालत ने कहा:

55. [...] एक उम्मीदवार का इरादा केवल तभी प्रासंगिक हो सकता है जब किसी आपराधिक अपराध के लिए अभियोजन हो। हालांकि, जहां एक झूठे जाति दावे के आधार पर अर्जित लाभों को वापस लेने का एक नागरिक परिणाम मुद्दा है, यह एक बेईमान इरादे की आवश्यकता को आयात करने के विधायी इरादे के विपरीत होगा। ऐसी आवश्यकता को लागू करते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ

बी.

शालिनी में [शालिनी बनाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन., (2013)

16 एससीसी 526:(2014) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 265] बहुत सम्मान के साथ गलती में पड़ गया है। शालिनी [शालिनी बनाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन, (2013) 16 एस. सी. सी. 526 में निर्णय:(2014) 3 इसलिए, एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 265] को सही सिद्धांत निर्धारित नहीं करने के लिए माना जाना चाहिए। चीजों की प्रकृति में जाति प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदक की मानसिक प्रक्रियाओं में तल्लीन होना एक असंभव बोझ डालना होगा। [...]

सी.

डी.

इस न्यायालय ने आगे कहा कि पद के लिए अयोग्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने से सुशासन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह: (i) एक अयोग्य व्यक्ति को एक दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन (सार्वजनिक रोजगार) तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है; (ii) योग्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है; और (iii) एक अयोग्य व्यक्ति को अनुचित रूप से लाभ प्रदान करके अवैधता को बनाए रखता है।²² प्रथम प्रत्यर्थी ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक पद के खिलाफ रोजगार प्राप्त किया, जिसके लिए वह हकदार नहीं थी। प्रभाव एक वास्तविक उम्मीदवार को विस्थापित करना है, जो अन्यथा पद का हकदार होता। अनुशासनात्मक जाँच बुलाने में अपीलार्थी के आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। जाँच के निष्कर्ष अप्रत्याशित हैं। जो सजा दी गई थी उसे असमान नहीं माना जा सकता था। चाहे प्रथम प्रत्यर्थी का जाति दावा कपटपूर्ण था या नहीं, यह स्पष्ट है कि आरक्षित पद के विरुद्ध रोजगार प्राप्त करने से उसे जो लाभ मिला था, उसे जाति के दावे को खारिज करने के बाद वापस लेना होगा।

ई.

एफ.

जी.

23. कानून के स्पष्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जो अध्यक्ष और प्रबंध में इस न्यायालय के फैसले में तैयार किया गया था।

निदेशक, भारतीय खाद्य निगम (उपरोक्त), हमारा विचार है कि

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने ए के लिए निर्देश जारी करने में गलती की थी

एच.

597

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

बहाली के लिए प्रथम प्रत्यर्थी के दावे पर पुनर्विचार।²⁴ हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि पहले प्रत्यर्थी से उस वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी जो उसे उस अवधि के लिए दिया गया था जिसके लिए उसने वास्तव में काम किया है।

बी.

25. उपरोक्त कारणों और उपरोक्त स्पष्टीकरण के अधीन, हम अपील की अनुमति देते हैं और 30 अक्टूबर 2019 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार कर देते हैं। परिणामस्वरूप, एकल न्यायाधीश का निर्णय भी दरकिनार कर दिया जाएगा। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज हो जाएगी।

सी.

26. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

ओ आर डी ई आर

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 30 अक्टूबर 2019 के उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती है।

डी.

3. प्रथम प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध कनिष्ठ सहायक के रूप में अपीलार्थी की सेवा में शामिल हुआ। अनुसूचित जाति से संबंधित होने की उसकी याचिका के समर्थन में, पहले प्रत्यर्थी ने एक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जो तहसीलदार, भुवनेश्वर द्वारा जारी किया गया था। जाति प्रमाण पत्र 5 जनवरी 1996 को जारी किया गया था।

ई.

4. एक विविध मामला संख्या 7/1996 यह उल्लेख करते हुए दायर किया गया था कि पहला प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति, "देवर" से संबंधित है।

5. 2 अगस्त 2011 को, अपीलार्थी ने उप-कलेक्टर, खुर्दा (चौथे प्रत्यर्थी) से इस आधार पर जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच करने का अनुरोध किया कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र और पहले प्रत्यर्थी की अनंतिम अंक पत्र और 12 वीं कक्षा की परीक्षा से पता चलता है कि वह एक ब्राह्मण थी।

एफ.

6. तहसीलदार ने रेव. मिस्क को पंजीकृत करने के बाद पहले प्रत्यर्थी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया। 2011 का मामला संख्या 47।

जी.

7. 16 अगस्त 2011 के अपने जवाब में, पहले प्रत्यर्थी ने कहा कि वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन उसने 21 जुलाई 1993 को अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति से शादी करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने का दावा किया।

एच.

598

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

8. 16 अगस्त 2011 को, तहसीलदार ने उड़ीसा जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए) नियम, 1980 के नियम 8 (2) के तहत पहले प्रत्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश पारित किया। वालसम्मा पॉल में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करना

बनाम कोचीन विश्वविद्यालय **6** और अंजन कुमार बनाम भारत संघ **7**,

तहसीलदार ने पहले प्रत्यर्थी की इस दलील को खारिज कर दिया कि शादी के परिणामस्वरूप वह अनुसूचित जाति की सदस्य बन गई थी। तहसीलदार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर भी भरोसा किया कि जो व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे आरक्षित समुदाय से संबंधित नहीं माना जाएगा।

बी.

9. जाति प्रमाणपत्र के रद्द होने के बाद, अपीलार्थी ने 26 अगस्त 2011 को उड़ीसा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1962 के तहत आरोप पत्र जारी करके पहले प्रत्यर्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की। प्रथम प्रत्यर्थी को जाँच में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

सी.

10. जाँच अधिकारी ने 13 जनवरी 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति पहली प्रत्यर्थी को दी गई थी ताकि निष्कर्षों पर अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके। 11. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रथम प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने और जांच में निष्कर्षों पर उसे दिए गए वेतन की वसूली करने का प्रस्ताव रखा। प्रथम प्रत्यर्थी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था।

डी.

ई.

12. प्रथम प्रत्यर्थी ने कलेक्टर, खुर्दा के समक्ष अपने जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी।

13. इस बीच, 13 मार्च 2012 को, अपीलार्थी ने पहले प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया।

एफ.

14. प्रथम प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी बर्खास्तगी को चुनौती दी।

15. 25 जनवरी 2018 के एक फैसले द्वारा, एक एकल न्यायाधीश ने पहले प्रत्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को बरकरार रखा, लेकिन अपीलार्थी को कविता सोलुंके बनाम राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करके, अन्य बातों के साथ-साथ, पद पर बने रहने पर विचार करने का निर्देश दिया।

जी.

महाराष्ट्र और अन्य **8** और शालिनी बनाम न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन

6 (1996) 3 एससीसी 545 7 (2006) 3 एससीसी 257 8 (2012) 8 एससीसी 430 ए

एच.

599

भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण बनाम मधुमिता दास [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

& ओआरएस 9. हालांकि, एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि यदि पहले प्रत्यर्थी को बहाल किया जाता है, तो वह भविष्य में किसी भी पदोन्नति और लाभ से वंचित हो जाएगा। 16. एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ 564 दिनों की देरी के साथ एक रिट अपील दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने 30 अक्टूबर 2019 के अपने विवादित फैसले में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप रिट अपील को खारिज कर दिया।

बी.

17. हमने देरी को माफ करने के लिए डिवीजन बेंच के रिकॉर्ड में रखे गए कारणों पर विचार किया है। राज्य ने रिट अपील को संसाधित करने के उद्देश्य से आवश्यक अनुमोदन लेने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताया था। हमारा विचार है कि खंड पीठ को इस मामले के तथ्यों में देरी को माफ कर देना चाहिए था।

सी.

18. गुण-दोष के आधार पर, यह स्पष्ट है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध अपीलार्थी के साथ रोजगार प्राप्त किया था। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा किया। जाति प्रमाणपत्र को इस आधार पर सही ढंग से अमान्य कर दिया गया है कि पहली प्रत्यर्थी जन्म से अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं थी और अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति से उसकी शादी अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ पाने का हकदार नहीं होगी। इस पहलू का निपटारा इस न्यायालय के वल्सम्मा पॉल (ऊपर) और अंजन कुमार (ऊपर) के फैसलों से होता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को कविता सोलुंके और शालिनी में इस न्यायालय के दो फैसलों के आधार पर बहाली के लिए पहले प्रत्यर्थी के दावे पर पुनर्विचार करने के लिए राजी किया। इन दोनों फैसलों को इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने खारिज कर दिया है।

डी.

ई.

और प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम बनाम जगदीश बलराम बहिरा **10.**

एफ.

19. प्रथम प्रत्यर्थी ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित एक पद के खिलाफ रोजगार प्राप्त किया, जिसके लिए वह स्पष्ट रूप से हकदार नहीं थी। प्रभाव एक वास्तविक उम्मीदवार को

विस्थापित करना है, जो अन्यथा पद का हकदार होता। अनुशासनात्मक जाँच बुलाने में अपीलार्थी के आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। जाँच के निष्कर्ष अप्रत्याशित हैं। जो सजा दी गई थी उसे असमान नहीं माना जा सकता था। चाहे पहले प्रत्यर्थी का जाति का दावा कपटपूर्ण था या नहीं, यह स्पष्ट है कि उसके खिलाफ रोजगार हासिल करने के लिए उसे जो लाभ प्राप्त हुआ

जी.

9 (2013) 16 एससीसी 526 10 (2017) 8 एससीसी 670

एच.

600

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

जाति के दावे को खारिज किए जाने के बाद एक आरक्षित पद को अलग करना होगा।

20. कानून के स्पष्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जिसे तैयार किया गया है

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक में इस न्यायालय के निर्णय में,

भारतीय खाद्य निगम (ऊपर), हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पुनर्विचार के लिए निर्देश जारी करने में गलती की थी।

बी.

21. हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि पहले प्रत्यर्थी से उस वेतन की कोई वसूली नहीं की जाएगी जो उसे उस अवधि के लिए दिया गया था जब उसने वास्तव में काम किया था।

सी.

22. उपरोक्त कारणों और उपरोक्त स्पष्टीकरण के अधीन, हम अपील की अनुमति देते हैं और 30 अक्टूबर 2019 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर देते हैं। परिणामस्वरूप, एकल न्यायाधीश के निर्णय को भी दरकिनार कर दिया जाएगा और प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित रिट याचिका खारिज कर दी जाएगी।

डी.

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

मामलों का निपटारा किया गया।

ई.

एफ.

जी.

एच.